न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
म0प्र0 R 5067-दो/15

422
23.9.15

इन्द्रकुमार तिवारी तनय श्री शिवदुलारे तिवारी निवासी ग्राम चोरगड़ी-189 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0 -----निगरानीकर्ता

बनाम

1. आदित्य प्रसाद तिवारी तनय स्व0 रामसिया तिवारी निवासी ग्राम चोरगड़ी-189 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य ---गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त रायपुर कर्चुलियान, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 276/अ-12/2014-15 आदेश दिनांक 18.08.15 मे पारित

श्री .... एड के द्वारा आज दिनांक 23-9-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. आवेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि नम्बर 261 रकवा 4.14एकड़, स्थित मौजा चोरगड़ी-189 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा मे स्थित है, जिसके सीमांकन हेतु आवेदक के द्वारा राजस्व निरीक्षक महोदय के यहां आवेदन दिया, राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा धारा 129 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के प्रावधान के अनुकूल सीमांकन नही किया, यहां पर यह विचारणीय बिन्दु है कि :-

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5067-दो-15 ..... जिला रीवा ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	प्रकरण में मेरे द्वारा निगरानीकार अभिभाषक के माध्यम से तर्क सुने गए तथा नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। ऐसा करने पर विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि राजस्व निरीक्षक के आक्षेपित आदेश दि. 18.8.15 में आवेदक की आपत्ती पर पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर विवेचना कर आदेश पारित तो किया गया है, किन्तु, राजस्व निरीक्षक के इस आदेश में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टता एवं समाधान का अभाव है: (क) आवेदक इन्द्रकुमार को उसके भूमिस्वामी अधिकार के अनुसार पूरा रकबा, जो सीमांकन आवेदन से संबंधित ख.न. 261 का राजस्व अभिलेख अनुसार रकबा है, नाप कर बताया गया है या नहीं, इस पर आक्षेपित आदेश में स्पष्टता नहीं है, जबकि यह आवेदक की आपत्ती का एक बिन्दु है। ⊙ (ख) सीमांकन स्थाई चिन्हों का आधार लेते हुए किया गया है, इस संबंध में	⊙ आक्षेपित आदेश में यह तो लिखा है कि 'पटवारी द्वारा प्रस्तुत फील्डबुक रकबा बरारी अनुसार सही पाई गई', किन्तु की गई रकबा बरारी के अनुसार आवेदक की भूमि का कितना रकबा निकला, तथा क्या यह रकबा आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व के अनुसार एवं उसके बराबर है या नहीं

[कृ. प. उ.

... सही प्रकार से ... गते हुए ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश या सीमांकन के किसी उल्लेख अन्य अभिलेख में स्पष्ट नहीं है।

(ग) जब आदेश दि 18.8.15 एवं पटवारी प्रतिवेदन में यह लिखा है कि एक जगह लम्बाई 0.20 जरीब कम पाई गई, तो एक अन्य जगह वह 0.20 जरीब अधिक पाई गई, जो कि नक्शे एवं मौके पर पाई गई लम्बाइयों के अन्तर है, तो फिर इसी आदेश में आगे यह लिख दिया गया है कि 'भूमि का सीमांकन खसरे/नक्शे की स्थिति अनुसार मौके पर किया जाना है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है'।

स्पष्ट है कि आवेदक इन्द्रकुमार की आपत्तियों का निराकरण सरसरी तौर पर करने का प्रयास राजस्व निरीक्षक द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से किया गया है, जिससे आवेदक की शंकाओं एवं दुविधाओं का समाधान नहीं हुआ है। उसकी अंश भूमि पर अवैध कब्जा बताने, एवं उसकी (आवेदक की) मेढ़ (उसके बताए अनुसार) अन्य की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R5067-दो../.15..... जिला .....रीवा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

भूमि में सम्मिलित कर बताने से, भविष्य में विवाद की सम्भावना भी बढ़ी है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं राजस्व विरीक्षक - रायपुर कर्चुलियान द्वारा उनके प्रकरण क्र. अ-12/2014-15 में पारित आदेश दि. 18-8-15, पूर्णतः स्पष्ट एवं समाधानकारक नहीं होने के कारण अपास्त करता हूँ। साथ ही सबंधित तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि वे विषयांकित सीमांकन प्रकरण अब अपने समक्ष रखेंगे, तथा राजस्व अभिलेखों एवं नक्शों के अनुसार मौके पर विधिवत सीमांकन की प्रक्रिया इस प्रकार करायें कि इस आदेश में लिखे तथा आवेदक की आपत्ती में उठाए गए बिन्दुओं का पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण तरीके से निराकरण हो। यदि कार्यवाही के दौरान तहसीलदार यह पाते हैं कि राजस्व नक्शे इत्यादि में कोई ऐसी त्रुटि या विसंगति है, जिसके कारण मौके पर सीमांकन सही से नहीं हो पा रहा, तो इस संबंध में वे

[कृ. प. उ.

R 5067-II/15-4 /2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वे स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकार से उसका अनुमोदन होना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यवाही के दौरान आवेदक एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों और सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का युक्तियुक्त अवसर दें। उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की तहसीलदार - रायपुर को विधान को संसूचना के अधिकतम चार माह में पूर्ण हो। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। 23-10-15 सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.